भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2689

मंगलवार, 05 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

चिकित्सा उपकरणों के लिए पीएलआई योजनाएं

2689. श्री चमाला किरण कुमार रेड्डीः
श्रीमती डी. के. अरुणाः
श्री इटेला राजेंदरः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 14 प्रमुख क्षेत्रों, जिनमें थोक औषधियां, चिकित्सा उपकरण और फार्मा शामिल हैं, के लिए उत्पादन बढ़ाने, रोजगार सृजन करने और घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करके निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पीएलआई योजनाएँ शुरू की हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में जारी, कार्यान्वित और तत्पश्चात संशोधित दिशानिर्देश क्या हैं;

(ग) इस प्रयोजन के लिए वित्तीय परिव्यय सहित कवर किए गए उत्पादों की संख्या क्या है;

(घ) उक्त योजना के अंतर्गत 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में सरकार द्वारा आमंत्रित और अनुमोदित आवेदनों की संख्या कितनी है;

(ङ) इसमें जून, 2025 तक सूचित किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है; और

(च) बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण (एलएसईएम), आईटी हार्डवेयर, थोक औषधियों, चिकित्सा उपकरण, फार्मास्यूटिकल्स, दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण, वाइट गुड्स ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक तथा ड्रोन और ड्रोन घटक सहित पीएलआई योजनाओं के अंतर्गत वितरित किए गए प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क): भारत के 'आत्मनिर्भर' बनने के विज़न को ध्यान में रखते हुए, देश की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने हेतु 1.97 लाख करोड़ रुपए के

परिव्यय के साथ 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम की घोषणा की गई है।

ये 14 क्षेत्र हैं: (i) मोबाइल विनिर्माण और विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटक, (ii) महत्वपूर्ण प्रारंभिक सामग्री/मध्यवर्ती औषधि और एक्टिव फार्मास्यूटिकल सामग्रियां, (iii) चिकित्सा उपकरणों का विनिर्माण (iv) ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक, (v) फार्मास्यूटिकल्स औषधियां, (vi) विशेष इस्पात, (vii) दूरसंचार तथा नेटवर्किंग उत्पाद, (viii) इलेक्ट्रॉनिक/प्रौद्योगिकी उत्पाद, (ix) व्हाइट गुड्स (एसी और एलईडी), (x) खाद्य उत्पाद, (xi) वस्त्र उत्पाद: एमएमएफ श्रेणी और तकनीकी वस्त्र, (xii) उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल्स, (xiii) एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी, तथा (xiv) ड्रोन और ड्रोन घटक।

पीएलआई स्कीमों का उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रों में निवेश और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को आकर्षित करना; विनिर्माण क्षेत्र में दक्षता सुनिश्चित करना और व्यापक पैमाने की किफायत करना तथा भारतीय कंपनियों और विनिर्माताओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। इन स्कीमों में अगले लगभग पांच वर्षों के दौरान उत्पादन, रोजगार और आर्थिक वृद्धि को अत्यधिक बढ़ावा देने की क्षमता है।

मार्च 2025 तक, 14 विभिन्न क्षेत्रों में 1.76 लाख करोड़ रुपए का वास्तविक निवेश प्राप्त हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप 16.5 लाख करोड़ रुपए का वृद्धिमान उत्पादन/बिक्री हुई है और 12 लाख से अधिक रोजगार (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) सृजित हुए हैं। पीएलआई स्कीमों की वजह से भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में अब पारंपरिक वस्तुओं के स्थान पर उच्च मूल्यवर्धित उत्पाद हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार सामान, प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद आदि। बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य प्रसंस्करण और दूरसंचार तथा नेटवर्किंग उत्पादों जैसे क्षेत्रों के महत्वपूर्ण योगदान से पीएलआई स्कीमों ने 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात दर्ज किया है।

(ख): सभी 14 क्षेत्रों हेतु पीएलआई स्कीमों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा विधिवत अनुमोदन के बाद दिशानिर्देशों के साथ अधिसूचित किया गया है। लक्षित क्षेत्रों/पात्र उत्पादों सहित स्कीम के दिशानिर्देशों और तत्पश्चात संशोधनों का विवरण, कार्यान्वयन मंत्रालयों/विभागों की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। पीएलआई स्कीमों के अंतर्गत अनुमोदित उत्पादों का चयन उन्हें मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों के अनुरूप रखते हुए

राष्ट्रीय लक्ष्यों से तालमेल बनाने, उत्पादन क्षमता बढ़ाने, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने और इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक रूप से किया गया है।

(ग) से (ङ): फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा तीन पीएलआई स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं, अर्थात फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के लिए पीएलआई स्कीम, भारत में महत्वपूर्ण प्रारंभिक सामग्री (केएसएम)/ मध्यवर्ती औषधि (डीआई) और एक्टिव फार्मास्यूटिकल सामग्रियों (एपीआई) के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु पीएलआई योजना (थोक दवाओं के लिए पीएलआई योजना) और चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई योजना। 15,000 करोड़ रुपए के अनुमोदित परिव्यय के साथ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के लिए पीएलआई स्कीम के अंतर्गत 55 स्वीकृत आवेदकों द्वारा 37,306 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। दूसरी ओर, 6,940 करोड़ रुपये के अनुमोदित परिव्यय के साथ थोक दवाओं हेतु पीएलआई स्कीम के अंतर्गत 48 अनुमोदित आवेदकों द्वारा 4,570 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। इसके अलावा, 3,420 करोड़ रुपए के अनुमोदित परिव्यय के साथ चिकित्सा उपकरणों के लिए पीएलआई स्कीम के फलस्वरूप 32 अनुमोदित आवेदकों द्वारा 1,150 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है।

भारत में विभिन्न क्षेत्रों में पीएलआई स्कीमों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इन स्कीमों ने घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित किया है, जिससे उत्पादन बढ़ा है, नौकरियों का सृजन हुआ है और निर्यात को बढ़ावा मिला है। फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में कुल 2.66 लाख करोड़ रुपए की बिक्री दर्ज की गई है, जिसमें इस स्कीम के पहले तीन वर्षों में हासिल 1.70 लाख करोड़ रुपए का निर्यात शामिल है। इस स्कीम ने भारत को, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान बल्क ड्रग्स के निवल आयातक (-1930 करोड़) से अब निवल निर्यातक (2280 करोड़) बनाने में योगदान दिया है। इस स्कीम के परिणामस्वरूप घरेलू विनिर्माण क्षमता और महत्वपूर्ण औषधियों की मांग के बीच अंतर में बड़ी कमी भी आई है।

चिकित्सा उपकरणों के लिए पीएलआई स्कीम के अंतर्गत 21 परियोजनाओं ने 54 विशिष्ट चिकित्सा उपकरणों का विनिर्माण शुरू किया है, जिनमें लीनियर एक्सीलरेटर (लाइनैक), एमआरआई, सीटी-स्कैन, हार्ट वाल्व, स्टेंट, डायलाइज़र मशीन, सी-आर्म, कैथ लैब, मैमोग्राफ, एमआरआई कॉइल आदि जैसे उच्च-स्तरीय उपकरण शामिल हैं। इन उच्च-स्तरीय चिकित्सा उपकरणों का पहले आयात किया जाता था और अब भारत में इनका विनिर्माण किया जा रहा है।

उद्योग संघ और डीजीसीआईएस के अनुसार, मूल्य के संदर्भ में मोबाइलों का उत्पादन वर्ष 2020-21 के 2,13,773 करोड़ रुपए से लगभग 146% बढ़कर 2024-25 में 5,25,000 करोड़ रुपए हो गया है। इसी अवधि के दौरान, मूल्य के संदर्भ में मोबाइल फोनों का निर्यात वर्ष 2020-21 के 22,870 करोड़ रुपए से लगभग 775% बढ़कर 2024-25 में 2,00,000 करोड़ रुपए हो गया है।

व्हाइट गुड्स संबंधी पीएलआई स्कीम का उद्देश्य भारत में एयर कंडीशनर और एलईडी लाइट्स उद्योग के लिए मजबूत घटक ईकोसिस्टम का निर्माण करना है ताकि देश को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का अभिन्न अंग बनाया जा सके। इस स्कीम की अनूठी विशेषता यह है कि यह स्कीम तैयार उत्पादों के लिए नहीं बल्कि केवल घटकों और सब-असेंबलीज़ के विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन प्रदान करती है। इसकी शुरुआत के बाद से, भारत ने प्रमुख घटकों जैसे एयर कंडीशनर के कम्प्रेसर, कॉपर ट्यूब, हीट एक्सचेंजर, मोटर और कंट्रोल असेंबलीज़ के साथ-साथ एलईडी श्रेणी में एलईडी चिप पैकेजिंग, ड्राइवर्स, इंजन, लाइट मैनेजमेंट सिस्टम, और कैपेसिटर के लिए मैटलाइज्ड फिल्मों का स्थानीय रूप से उत्पादन शुरू कर दिया है। इस बदलाव से आयात पर निर्भरता काफी कम हो गई है तथा घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती मिली है।

(च): पीएलआई स्कीम के अंतर्गत दिनांक 31.07.2025 तक 12 क्षेत्रों नामतः व्यापक स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण (एलएसईएम), आईटी हार्डवेयर, बल्क ड्रग्स, चिकित्सा उपकरण, फार्मास्यूटिकल्स, दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण, व्हाइट गुड्स, ड्रोन और ड्रोन घटक, विशेष इस्पात, वस्त्र उत्पाद और ऑटोमोबाइल तथा ऑटो घटक के लिए 21,689 करोड़ रुपए की कुल प्रोत्साहन राशि संवितरित की गई है।

*****